UPSH010037782026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1337/2026</u>

मिठ्ठू लाल, उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र रतीराम, निवासी ग्राम पंथी, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जिला शाहजहाँपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।
मुकदमा अपराध संख्या–141/2026,
धारा–115(2), 333, 351(3), 352, 76 बी0 एन 0 एस 0
थाना–सेहरामऊ दक्षिणी, जिला–शाहजहाँपुर।

<u>03–06–2026</u>

आवेदक/अभियुक्त मिठ्ठू लाल द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती भधौखी द्वारा थाना सेहरामऊ दक्षिणी पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांकः 12–05–2026 को शाम 06:00 बजे उसके गाँव के ही मिठ्ठू लाल पुत्र रतीराम ने माँ–बहन की गन्दी–गन्दी गाली देते हुये कहा बुढ़िया मादरचोद तू और तेरे लड़के मुझे चुनाव में वोट नहीं देते हैं और उसके साथ मारपीट करने लगा, जिससे उसके सीधे हाथ में चोट लग गयी। वह भागकर घर में घुसी तो घर के अन्दर घुसकर उसे मारा–पीटा और कपड़े फाड़ दिये। इतने में लेखराज की पत्नी और सर्वेश की पत्नी बचाने आयी तो उन्हें भी गन्दी–गन्दी गालियाँ देने लगा और मारा–पीटा। तभी गाँव वालों की भीड़ लग गयी, तब वह जान से मारने की धमकी देकर अपने घर की तरफ भाग गया। वह थाने गयी, पुलिस ने राजनैतिक दबाव के कारण रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस मुल्जिमानों से मिल गयी है। अतः मुल्जिम के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह उपरोक्त अपराध में पूर्णतः निर्दोष है। उसके विरूद्ध स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके गिरफ्तार होने पर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी तथा उसके परिवार पर आर्थिक, सामाजिक संकट आयेगा। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अत: दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उपरोक्त तर्कों को विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी

मुकदमा के साथ गाली–गलौज करते हुये उसके घर में उसके साथ मारपीट की गयी है तथा वादिनी की लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपड़े फाड़ दिये। अपराध सात वर्ष के कम कारावास की सजा से दण्डनीय हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने की कोई आशंका नहीं है। अत: अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा को गन्दी–गन्दी गालियाँ देते हुये घर के अन्दर घुसकर उसके साथ मारपीट किये जाने तथा उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपड़े फाड़ दिये जाने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। चूँकि कथित अपराध सात वर्ष की सजा से दण्डनीय है, इसलिये कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने की कोई आशंका नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। अत: मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अत: आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **मिठ्ठू लाल** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1337/2026, अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–141/2026, धारा–115(2), 333, 351(3), 352, 76 बी0 एन 0 एस 0, थाना–सेहरामऊ दक्षिणी, जिला–शाहजहाँपुर, निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 03–06–2026

(प्रेम शंकर)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।